Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible] CNR NUMBER

Number of Case A/04/2023 Year

भंवरसिंह व अन्य Versus रतनसिंह व अन्य

अन्तर्गत धारा - 212 (RTA 1955)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
21/06/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप. पूर्व में अधि. वादी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि अधि. प्रति. द्वारा प्रति. सं. 01 ता 06, 15 ता 19 की ओर से जवाब पेश किया गया है, किंतु प्रति. स. 15 ता 19 की ओर से कोई वकालतनामा/UT नहीं दी गई है। आपत्ति स्वीकार की जाती है। पूर्व में पेश जवाब अप्रार्थी सं. 01 ता 06 का जवाब माना जावेगा। अधि. अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रा. पत्र पर बहस की गई। अधि. प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पूर्व में समस्त अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण है। अप्रार्थी सं. 01 ता 06 की ओर से जवाब पेश है। अन्य अप्रार्थीगण लंबे समय से उप. नहीं, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक अधि. प्रार्थीगण - "प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 ता 19 नाथूसिंह के विधिक वारिसान हैं। जिनकी पैतृक भूमि ग्राम बावरला, ख. सं. 25 (15 बीघा 02 बिस्वा), ख. सं. 154 (19 बीघा 15 बिस्वा), ख. सं. 174 (11 बीघा 05 बिस्वा), ख. सं. 189 (06 बीघा 19 बिस्वा), ख. सं. 210 (67 बीघा 02 बिस्वा) है। नाथूसिंह के देहांत के पश्चात उनके 05 पुत्रों - पीरसिंह, बाघसिंह, इंद्रसिंह, उगम सिंह, रामसिंह के नाम 1/5-1/5 हि. दर्ज हुआ। पीरसिंह के देहांत के	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER ....

Number of Case .... A/04/ .... Year 2023 ....

भंवरसिंह व अन्य .... Versus ..... रतन सिंह व अन्य ....

अन्तर्गत धारा - 212 (RTA 1955)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पश्चात प्रार्थी सं. 01 ता 04 नाम दर्ज होकर 1/5 हि॰ (24 बीघा) कब्जा में आई। उगमसिंह के कोई पुत्र नहीं था। उगमसिंह के देहांत पश्चात उनकी पत्नी व 04 पुत्रियों ने अपना 1/5 हि. में से 06 बीघा भूमि प्रार्थी सं. 01 भंवरसिंह को, ~~06 व~~ अप्रार्थी रतनसिंह (01), करनसिंह (02) को 03-03 बीघा भूमि, इंद्रसिंह व रामसिंह को 06-06 बीघा भूमि हकतर्क की गई, जो revenue record में दर्ज है। विवादित भूमि में प्रार्थी सं. 01 ता 04 का 1/5 हि॰, प्रार्थी सं. 01 का 1/20 हि॰, अप्रार्थी सं. अप्रार्थी सं. 01, 02 का 1/4 हि॰, अप्रार्थी सं. 03 ता 06, 15 ता 19 का 1/4 हि॰, अप्रार्थी सं. 07 ता 14 का 1/4 हि॰ है। प्रार्थीगण इसका विधिक विभाजन चाहते हैं। किंतु अप्रार्थीगण बिना विभाजन बेचान, निर्माण करने पर आमदा हैं। मुख्य सड़क पर स्थित ख. सं. 210 (67 बीघा 02 बिस्वा) पर कब्जा कर रहे हैं। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के मौका एवं record की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जावे।" अधि. प्रार्थीगण द्वारा कुछ citations पेश किये गये, जो निम्नानुसार हैं- 1. DNJ 1995 page 676: रामसिंह v/s अमरा में H' Raj HC decision- "संयुक्त अविभाजित संपत्ति का विभाजन वाद लंबित रहने तक विवादित संपत्ति की प्रकृति, स्थिति नहीं बदल सकते, ना ही विक्रय। निर्माण कर सकते हैं।"	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER ....

Number of Case ....A/04/.. Year 2023..........

कंवरसिंह व अन्य .... Versus ....रतनसिंह व अन्य..........

अन्तर्गत धारा 212 (RTA 1955)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of com... of the Orde...
	2. AIR 1982 page 183: Harishankar Vs Satyaprakash - H' Raj HC decision: " न्यायालय विवादित संपत्ति बाबत पक्षकारों को पाबंद कर सकेगा कि वे मूलवाद निर्णय तक संपत्ति को विक्रय। निर्माण। हस्तांतरित नहीं करे।	
	3. RLW 1995(3) page 355: UIT Jodhpur Vs Sohni: H' Raj. HC decision - " दावा निस्तारण तक विवादित संपत्ति की स्थिति, subject matter बचाए रखें।"	
	मुताबिक बहस अधि॰ अप्रार्थी- " मौके पर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार पीढ़ियों से काबिज हैं, मौके पर पक्की दीवारें, तारबंदी है। मौके पर विवाद नहीं है। सन्त्री के भूमि तक पहुँचने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थीगण द्वारा मेहनत से भूमि में सुधार किया गया है, उसे हड़पने के लिए प्रार्थीगण ने दावा किया है। विवादित भूमि 04 परिवारों से संबंधित है, जिसमें बाद प्रार्थीगणों का 1/4 हि॰ एवं अप्रार्थीगणों का 3/4 हि॰ है। संपूर्ण विवादित भूमि पर स्थगन नहीं दिया जावे।"	
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " चूंकि	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER .....

Number of Case ..... A/04/ Year 2023

भंवरसिंह व अन्य Versus रतन सिंह व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 [RTA 1955]

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order

वाद विभाजन से संबंधित है, अतः मौके पर किसीप्रकार के निर्माण कार्य से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रार्थीगण recorded खातेदार हैं, अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उनके पक्ष में साबित होता है। अतः प्रा: पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 01 ता 19 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद विवादित भूमि की प्रकृति ना बदली जावे, किसीप्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो। विशेष भू-भाग दर्शा कर बैचान ना हो।

साथ ही दोनों पक्षकारों को पाबंद किया जाता है कि प्रकरण में प्रत्यावी पैरवी करते हुए 60 दिवस के भीतर वाद निस्तारण करावें ताकि TI से लंबे समय तक खातेदारों के हक-हकूक प्रभावित ना हों।"

आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

Pushpa

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर